



उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

टोकन वितरण पोर्टल

1. ऐडमिन या IC के लॉगिन द्वारा किसी भी दुकान के लिए टोकन का निर्गमन नियंत्रित किया जा सकता है।
2. लॉगिन के पश्चात Enable / Disable Licence पर जाएं।
3. यदि किसी दुकान का स्टेटस False करेंगे तो वो दुकान ग्राहकों को नहीं दिखेगी। और उस दुकान में टोकन के लिए आवेदन नहीं हो पाएगा।
4. आवश्यकतानुसार किसी दुकान के लिए प्रति घंटे टोकन की अधिकतम संख्या बदली जा सकती है।